


9/12/2006 राजपत्र - शांति



दिनांक
11-12-19

आज्ञा पत्र

बार-बार कावाज देलाइ बाइ
कंप्लेंट एवं कम्प्लेंट के वकील
कोइ हाजिर नही काले। कतः
कदम हाजरी एवं कदम पर
साबित होने से कम्प्लेंट रकार्त
को जाती है। प्रभावली बाद
तरतीब लकी तकमील दारिबल
दफ्तर हो।

निर्णय शुभाभा वासा।

(Signature)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्य अपील अधिकारी
शीकर- (केब चुचुर्)

